भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4721
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों हेतु प्रोत्साहन

4721. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने वाली प्रत्येक राज्य की कुल कितनी कंपनियां हैं;
(ख) फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों की राज्यवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कुल संख्या कितनी है;
(ग) फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक विभिन्न संस्थाओं को आवंटित और संवितरित की गई राज्यवार कुल निधि कितनी है;
(घ) फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत एमएसएमई द्वारा शुरू किए गए निवेश और विनिर्माण गतिविधियों की राज्यवार मौजूदा स्थिति क्या है; और
(ङ) फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के लिए पीएलआई योजना से लाभ को अधिकतम करने, विशेषकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): सरकार औषधीय उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी दो प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं लागू कर रही है। भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों (केएसएम) / औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधीय सामग्रियों (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन

के लिए पीएलआई योजना ("बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना") के अंतर्गत, क्षेत्र में निवेश आकर्षित करके चिह्नित केएसएम, डीआई और एपीआई के घरेलू विनिर्माण का संवर्धन करने और इस प्रकार महत्वपूर्ण एपीआई पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, औषध से जुड़ी पीएलआई योजना के अंतर्गत, बल्क औषधियों से जुड़ी पीएलआई योजना के अंतर्गत कवर किए गए केएसएम, डीआई और एपीआई के अलावा औषधीय दवाओं की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के निवेश और उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है

दोनों पीएलआई योजनाओं में से प्रत्येक में भागीदारी के लिए स्वीकृत आवेदनों की संख्या, प्रत्येक योजना के अंतर्गत पीएलआई के लिए आवेदन करने वाली अनुमोदित आवेदक कंपनियों की संख्या, प्रत्येक योजना के अंतर्गत वितरित निधियों की धनराशि और अनुमोदित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आवेदकों के विनिर्माण कार्यकलापों के परिणामस्वरूप किए गए निवेश और बिक्री की स्थिति का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। संस्थाओं को निधि आवंटित नहीं की जाती है। प्रस्तुत दावों तथा संबंधित योजना की परियोजना प्रबंधन एजेंसी को देय शुल्क पर समुचित तत्परता बरतने के पश्चात् अनुमोदित योजना प्रतिभागियों को पीएलआई के माध्यम से संवितरण किया जाता है।

(ङ): औषध और बल्क औषधियों से जुड़ी पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत, बिक्री पात्रता के आधार पर निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। औषध और बल्क औषधियों से जुड़ी पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत चयनित आवेदकों को किए गए निवेश और बिक्री के लिए 4,174.9 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत की गई संचयी बिक्री 2,36,125 करोड़ रुपये की है, जिसमें 1,49,832 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। प्रोत्साहनों से निवेश को बढ़ावा मिला है और क्षमताएं संवर्धित हुई हैं, जो की गई बिक्री और निर्यात में परिलक्षित हो रही हैं।

अनुलग्नक

फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों हेतु प्रोत्साहन के संबंध में श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4721 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

बल्क औषधियों से जुड़ी पीएलआई योजना में भागीदारी के लिए स्वीकृत आवेदनों की संख्या, योजना के अंतर्गत पीएलआई के लिए आवेदन करने वाली स्वीकृत आवेदक कंपनियों की संख्या, योजना के अंतर्गत आवंटित निधि और स्वीकृत एमएसएमई आवेदकों के विनिर्माण कार्यकलापों के परिणामस्वरूप किए गए निवेश और बिक्री की स्थिति का विवरण

(दिनांक 26.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	योजना में भाग लेने के लिए स्वीकृत आवेदनों की संख्या	पीएलआई के लिए दावा प्रस्तुत करने वाले स्वीकृत आवेदकों की संख्या	दावों की तुलना में आवेदकों को आवंटित निधि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत आवेदकों की संख्या जो एमएसएमई हैं	स्वीकृत एमएसएमई आवेदकों द्वारा किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	स्वीकृत एमएसएमई आवेदकों द्वारा की गई बिक्री (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	10	2	3.76	1	59.45	0.13
गुजरात	8	2	3.05	5	98.27	21.64
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	0	0
कर्नाटक	3	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	2	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	6	0	0	5	170.27	72.92
पंजाब	1	1	14.9	0	0	0
राजस्थान	1	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	2	0	0	1	23.67	0.79
तेलंगाना	13	2	0	1	22.31	3.42
कुल	**48**	**7**	**29.41***	**13**	**373.97**	**98.9**

* कुल राशि में आवेदकों को आवंटित निधि के अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी को वितरित 7.7 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

बल्क औषधियों से जुड़ी पीएलआई योजना में भागीदारी के लिए स्वीकृत आवेदनों की संख्या, योजना के अंतर्गत पीएलआई के लिए आवेदन करने वाली स्वीकृत आवेदक कंपनियों की संख्या, योजना के अंतर्गत आवंटित निधि और स्वीकृत एमएसएमई आवेदकों के विनिर्माण कार्यकलापों के परिणामस्वरूप किए गए निवेश और बिक्री की स्थिति का विवरण

(दिनांक 26.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	योजना में भाग लेने के लिए स्वीकृत आवेदनों की संख्या	पीएलआई के लिए दावा प्रस्तुत करने वाले स्वीकृत आवेदकों की संख्या	दावों की तुलना में आवेदकों को आवंटित निधि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत आवेदकों की संख्या जो एमएसएमई हैं	स्वीकृत एमएसएमई आवेदकों द्वारा किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	स्वीकृत एमएसएमई आवेदकों द्वारा की गई बिक्री (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	1	1	10	0	0	0
दिल्ली	1	1	2.47	0	0	0
गुजरात	10	10	1,323.15	1	115	1,894.39
हरियाणा	1	1	1.63	1	37.08	224.91
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	40.62	140.19
कर्नाटक	3	2	136.9	2	122	708.25
मध्य प्रदेश	1	1	18.39	0	0	0
महाराष्ट्र	14	13	1,181.44	6	708.11	5,043.22
पंजाब	1	1	15.02	0	0	0
तमिलनाडु	4	3	27.14	2	65.69	220.28
तेलंगाना	18	15	1,437.05	7	1,122.67	5,254.84
कुल	**55**	**48**	**4,159.87***	**20**	**2,211.17**	**13,486.08**

* कुल राशि में आवेदकों को आवंटित निधि के अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी को वितरित 6.68 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

***